

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम, (म.प्र.)

फोन नं. 07574-253655, ई-मेल dcourthos-mp@nic.in

// विज्ञप्ति //

क्रमांक 3183/तीन-09-13/18

नर्मदापुरम दिनांक 14/07/2026

15/7/26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जात है कि जिला न्यायालय, नर्मदापुरम मध्यप्रदेश के अनुपयोगी घोषित शासकीय वाहन क्रमांक MP-02, HC-0256 Tata Indigo(2012) का विक्रय खुली नीलामी के माध्यम से किया जाना है।

अतः इस नीलामी/विक्रय की शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति, शासकीय वाहन क्रमांक को क्रय करना चाहता है, वह दिनांक 10.08.2026 को जिला न्यायालय, नर्मदापुरम में आयोजित खुली नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी/विक्रय से संबंधित अन्य जानकारी अथवा वाहन का भौतिक अवलोकन जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, नर्मदापुरम में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर, किया जा सकता है।

नीलामी/विक्रय की शर्तें जिला न्यायालय, नर्मदापुरम की आधिकारिक वेबसाइट narmadapuram.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है।

नीलामी की शर्तें

(नीलामी दिनांक 10/08/2026 को समय दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक)

1. शासकीय वाहन क्रमांक MP-02-HC-0256 Tata Indigo(2012) का अपलेखन मूल्य 1,30,000/-रुपये निर्धारित है।
2. वाहन को विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से नीलामी दिनांक 10.08.2026 से एक दिन पहले तक देखा जा सकता है। वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में नीलाम/विक्रय किया जायेगा।
3. वाहन के परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का भाड़ा आदि देय नहीं होगा।
4. नीलामी/विक्रय कार्यवाही में भाग लेने से पूर्व नीलामीकर्ता/कर्मचारी के पास नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि (32,500/-रुपये) अमानत के रूप में अग्रिम जमा करानी होगी। स्वीकृत बोलीकर्ता द्वारा अमानत के रूप में अग्रिम राशि जमा राशि समायोजित की जा सकेगी एवं असफल बोलीकर्ता की राशि वापस की जावेगी। बोलीकर्ता द्वारा स्वयं का वैधानिक पहचान दस्तावेज(आधार कार्ड एवं पैन कार्ड) भी प्रस्तुत करना होगा।
5. बोली स्वीकृति आदेश जारी होने के 7 दिवस के अंदर बोली की संपूर्ण राशि का नियमानुसार चालान शासन हित में जमा कराना होगा अथवा नगद राशि नजारत अनुभाग, नर्मदापुरम(म.प्र.), में जमा कर विक्रयशुदा वाहन स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जा सकेगी।
6. बोली अंतिम रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम द्वारा स्वीकृत की जावेगी, तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण अस्वीकार कर सकते हैं।
7. वाहन नीलामी के संबंध में, विवाद की स्थिति में वाहन नीलामी हेतु गठित नीलामी समिति का निर्णय समस्त बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। वाहन नीलामी हेतु गठित समिति, को नीलामी/विक्रय की शर्तों में बदलाव, आंशिक निरस्त अथवा पूर्णरूप से निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. नीलामी/विक्रय शुदा वाहन का नीलामी में विक्रय किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र नीलामी समिति, जिला न्यायालय, नर्मदापुरम द्वारा जारी किया जावेगा। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपरांत वाहन को यथास्थिति में स्वयं के व्यय पर जिला न्यायालय परिसर, नर्मदापुरम से ले जाना होगा।

9. नीलीमी/विक्रय की कार्यवाही में बोली लगाने हेतु भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं के संदर्भ में यह माना/समझा जावेगा कि उन्हें नीलामी/विक्रय की समस्त शर्तें स्वीकार हैं।
10. सफल बोलीकर्ता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना, बीमा कराना आदि समस्त कार्यवाही स्वयं करनी होगी, जिनका व्यय भार भी स्वयं वहन करना होगा। इस संबंध में कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. वाहन प्राप्ति के समय वाहन की वर्तमान नंबर प्लेट नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, नर्मदापुरम में जमा की जावेगी तथा वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार की एन.ओ.सी. प्रदान नहीं की जावेगी।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के पास सुरक्षित रहेगा एवं न्याय क्षेत्र सिविल न्यायालय नर्मदापुरम होगा।


वास्ते—प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम, (म.प्र.)